पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०एन०–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2008 ई० (पौष 06, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	563–569	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	351	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 1533 / XX(3)–25 / पुलिस / 2008–चूंकि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विद्यमान प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्तिम रिपोर्ट के प्रपत्रों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है;

और, चूंकि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित उक्त प्रपत्रों को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार सहमत है;

अतः, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154, 155 तथा 173 के प्रयोजनार्थ, वर्तमान में प्रचलित प्रपत्रों के स्थान पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित प्रपत्रों को तत्कालिक प्रभाव से विहित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following English translation of notification **no. 1533/XX(3)-25/Police/2008,** dated December 03, 2008 for general information :

NOTIFICATION

December 03, 2008

No. 1533/XX(3)-25/Police/2008--WHEREAS, the National Crime Record Bureau has proposed to amend the existing forms of first information report, charge-sheet and final report;

AND, WHEREAS, the State Government has agreed to emply the proposed forms in the State;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007, the Governor is pleased to accord sanction to prescribe the forms proposed by the National Crime Record Bureau in lieu of the existing forms for the purposes of section 154, 155 and 173 of the Criminal Procedure Code, 1973 with immediate effect.

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 1549 / XX(3)–55 / सीबीआई / 2003–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49, वर्ष 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 4 की उपधारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से श्री नरेन्द्र दत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट, देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों, अर्थात् देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन ऐसे मामलों में, जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 26, सन् 1946) के अधीन जांच के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाय, अथवा लम्बित हो, की सुनवाई एवं विचारण हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के रूप में समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1549/XX(3)-55/CBI/2003,** dated December 10, 2008 for general information :

NOTIFICATION

December 10, 2008

No. 1549/XX(3)-55/CBI/2003--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1), (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988), the Governor, in consultation with the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital, is pleased to confer on Sri Narendra Dutt, Addl. District and Sessions Judge/IV Fast Track Court, Dehradun, all powers in addition to his regular charge, to hear and try such cases, in which charge sheet is filed after investigation by the Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. XXVI of 1946) or cases which are pending, with in the jurisdiction of all the Districts of Uttarakhand, namely, Dehradun, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli, Hardwar, Nainital, Udhamsingh Nagar, Champawat, Bageshwar, Almora and Pithoragarh from the date of his taking over.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary.

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 465/XXVII(9)/सू०अ०अ०/2008–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल मनोरंजन कर विभाग के राज्य स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राज्य स्तर

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	मनोरंजन कर विभाग	डिप्टी कमिश्नर, मनोरंजन कर, मुख्यालय, देहरादून	वरिष्ठ मनोरंजन कर निरीक्षक मुख्यालय, देहरादून	एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन), आयुक्त कर/महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शासन की पूर्व अधिसूचनायें संख्या–1227/XXVII(5)/व्या०कर/2005, दिनांक 13–10–2005 एवं संख्या–631/XXX(8)/वाणिज्य कर/2007, दिनांक 19–10–2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अधिसूचना की शेष शर्तें व अन्य विवरण यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 705/XXVII(8)/सू0अ0अ0/2008–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग के राज्य स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राज्य स्तर

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	वाणिज्य कर विभाग	ज्वाइंट कमिश्नर, (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून	असिस्टेन्ट कमिश्नर (स्थापना), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून	एडिश्नल कमिश्नर (प्रशासन), आयुक्त कर/महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शासन की पूर्व अधिसूचनायें संख्या–1227/XXVII(5)/व्या0कर/2005, दिनांक 13–10–2005 एवं संख्या–631/XXX(8)/वाणिज्य कर/2007, दिनांक 19–10–2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अधिसूचना की शेष शर्तें व अन्य विवरण यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 281/IX/101/2008–09–मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय–समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया है कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहनों, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर, बत्ती एवं हूटर आदि का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, लाल अथवा नीली बत्ती, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह एवं हूटर का प्रयोग किया जाना नियमों के विरुद्ध है, साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरुपयोग की संभावनायें विद्यमान रहती हैं।

2–अतः, सरकारी वाहनों की अलग से पहचान सुनिश्चित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दुरुस्त बनाये जाने के उद्देश्य से, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 111 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, केवल सरकारी वाहनों पर अधिकारी का पदनाम एवं विभाग/कार्यालय के नाम की पट्टिका लगाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–उक्त पट्टिका का पृष्ठ भाग लाल रंग का होगा, जिस पर सफेद रंग से शब्द अंकित किये जायेंगे तथा इस पट्टिका का आकार किसी भी दशा में **300mm × 100mm** से अधिक नहीं होगा। यह नेमप्लेट वाहन की रजिस्ट्रेशन प्लेट से इतनी दूरी पर लगायी जाएगी, कि वाहन के पंजीयन चिन्ह को पढ़ने में कोई व्यवधान न हो।

4–उक्त नेमप्लेट का प्रयोग केवल सरकारी वाहन में अधिकृत अधिकारी के सवार होने पर ही किया जाएगा। यदि वाहन में अधिकृत अधिकारी सवार न हो, उक्त नेमप्लेट को काले आवरण से ढक कर रखा जायेगा। किराये की टैक्सियों पर 'उत्तराखण्ड सरकार', **'On Govt. Duty'**, 'शासकीय कार्य में संलग्न' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, भले ही उसमें कोई राजकीय अधिकारी अथवा अधिकृत व्यक्ति सवार हो।

5–सरकारी वाहनों से भिन्न वाहन, जिनमें सरकारी अधिकारियों के नाम से पंजीकृत निजी वाहन भी सम्मिलित हैं, में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पट्टिका अथवा वाहन की बॉडी पर वाहन का स्वामित्व अथवा प्रयोग करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित कोई शब्द/चिन्ह/संख्या नहीं लिखी जाएगी। किसी सरकारी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति, धार्मिक संस्था, विभिन्न संगठन, स्थानीय निकायों तथा पंचायतों के नाम पंजीकृत अथवा उनके प्राधिकारियों के निजी वाहन पर भी नम्बर प्लेट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जाएगा।

6–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–3–8/परि०सं०/उत्तरांचल/2001/245, दिनांक 05–02–2001, शासनादेश संख्या–56/ix/2003, दिनांक 07 फरवरी, 2003 एवं शासनादेश संख्या–473/ix/61/(परि0)/2002/2006, दिनांक 02 जून, 2006 में उल्लिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों/अधिकारियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन में लाल/नीली बत्ती अथवा अन्य किसी प्रकार की रंगीन बत्तियों का प्रयोग अनधिकृत होगा। केवल केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत आपात ड्यूटी, फायर बिग्रेड, पेट्रोलिंग कार और शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित वाहनों में बहुरंगी/लाल/नीली तथा सफेद रंग की बत्तियों का प्रयोग एवं रोगियों को ले जाने के लिये एम्बुलेंस पर नीली बत्ती का प्रयोग अनुमन्य होगा। आपात ड्यूटी, फायर बिग्रेड, पेट्रोलिंग कार और शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित वाहनों तथा रोगियों को ले जाने के लिये एम्बुलेंस की सूची सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से, जिले के संभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी उक्त वाहनों की सूची संकलित कर अपने पास रखेंगे।

7–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 119 के अन्तर्गत किसी मोटरयान में बहुश्रव्य ध्वनि उत्पादक संयंत्र, जो लगातार भिन्न–भिन्न प्रकार की आवाज निकालने वाला या असम्यक् कठोर तीव्र आवाज वाला हो या चेतावनी भरी आवाज निकालने वाला कोई अन्य उपस्कर हो, नहीं लगाया जायेगा, परन्तु रोगी वाहन, अग्निशमन वाहनों का उद्धरण प्रयोजनार्थ बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त वाहनों अथवा पुलिस अधिकारियों या मोटरयान (परिवहन) के अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी निर्वहन के क्रम में आपातकाल में उक्त पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। रोगी वाहन, अग्निशमन वाहनों अथवा पुलिस अधिकारियों या परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी निर्वहन के क्रम में, आपातकालीन स्थिति में प्रयुक्त होने वाले वाहनों, जिनमें बहुश्रव्य ध्वनि उत्पादक संयंत्र, जो लगातार भिन्न–भिन्न प्रकार की आवाज निकालने वाला या असम्यक् कठोर तीव्र आवाज वाला या चेतावनी भरी आवाज निकालने वाला कोई अन्य उपस्कर लगा हो, की सूची सम्बन्धित विभाग, जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से, संभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा संभागीय परिवहन अधिकारी उक्त वाहनों की सूची को संकलित कर अपने पास रखेंगे।

8–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 के प्राविधानानुसार वाहन के आगे–पीछे 70 प्रतिशत एवं साइड की खिड़कियों पर कोई ऐसी काली एवं चमकदार फिल्म लगाना वर्जित होगा, जिससे 50 प्रतिशत प्रकाश की पारदर्शिता इस प्रकार बाधित होती है।

9–साईनबोर्ड या पदनाम पट्टिका निर्माता, साईनबोर्ड/पट्टिका का निर्माण तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उन्हें अधिकृत नहीं कर दिया जाय। उक्त का पालन न करने की दशा में वैधानिक प्रतिबन्ध अधिरोपित किये जायेंगे।

10–निर्धारित प्ररूप पर जिलाधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त कोई व्यापारी लाल/नीली बत्ती अथवा सायरन/हूटर स्टॉक कर सकेगा। उपरोक्त वस्तु ऐसे व्यक्तियों को बेची जायेगी, जो लाल/नीली बत्ती प्रयोग करने हेतु शासनादेश से अधिकृत हों और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यापारी का ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है।

11–उक्त आदेश सभी प्रकार के निजी वाहन, चाहे वह किसी सरकारी अधिकारी के हों अथवा धार्मिक संस्था के हों, अथवा किसी भी राजनीतिक दल या संगठन या स्थानीय निकायों या पंचायतों या उनके प्राधिकारियों आदि के हों, सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

12–उपरोक्त आदेशों को पालन न करने वाले वाहनों को रोककर उनमें से नाम पट्टिका, बत्ती/शब्द, चिन्ह, शीशे पर से काले रंग की फिल्म एवं हूटर आदि वाहन स्वामी के व्यय पर उतरवाया/हटवाया जाएगा एवं उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से,

उमाकान्त पवांर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 281/IX/101/2008-09**, dated December 17, 2008 for general information :

NOTIFICATION

December 17, 2008

No. 281/IX/101/2008-09--According to the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989, displaying anything, except the registration number on the number plate of the vehicles, is a punishable offence and there is no provision to fix name plate on any non-Government Vehicle. During the enforcement process, it has been noticed from time to time that, in addition to the registration plate, many non-Government, private vehicles, taxies and hired vehicles are illegally using different types of name plates, seal of Uttarakhand Government, lights and hooters etc. The use of name plate, red or blue light, seal/emblem of Government of India and Government of Uttarakhand on such vehicles is against the rules and at the same time it being a security hazard and administrative disorder there remain a possibility of misuse of vehicles.

2. WHEREAS, in order to ensure the separate the identity of the Government vehicles and to make administrative mechinery more effective, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 111 of the Motor Vehicle Act, 1988, the Governor is pleased to accord sanction to affix the name plate, showing designation and department/office of the officer, on Government vehicles only.

3. The background of such name plate shall be red with the letters inscribed with white colour and in no case, in the size of this plate shall be more than **300mm × 100mm.** This name plate shall be affixed at such a distance from the registration plate that it may not obstruct the reading of the registration mark of the vehicle.

4. Such name plate shall be used only when the authorised officer is riding on Government vehicle. It shall be covered with black cover of the authorised officer is not riding on the vehicle. The words 'Uttarakhand Government', 'On Govt. Duty', 'Shaskeeya karya mein Sanlagn' etc. shall not be used on hired taxies, even if any Government officer or authorised person is riding on it.

5. Vehicles, other than Government vehicles, which include the private vehicles registered in the name of Government officers, shall not exhibit, except registration plate any type of plate, or any word/sign/number on the body of the vehicle regarding the ownership of the person using the vehicle. Except the number plate, nothing shall be exhibited on the private vehicle of any Government officer, political person, religious body, various organisations, local bodies and Panchayats or their authorities, registered in their names.

6. Except the vehicles of the highly placed persons/officers mentioned in Uttarakhand Government Order No. 3-8/Pari-san/Uttaranchal/2001/245, dated 05.02.2001, Government Order No. 56/ix/2003, dated 07.02.2003 and Government Order No. 473/ix/61/(Pari)/2002/2006, dated 02.06.2006, no other vehicle shall be authorised to use red/blue or any type of coloured light. Only the vehicles relating to emergency duty fire brigade, patrolling car and law and order shall be authorised to use multi-coloured red/blue and white lights and the ambulance-van used for carrying Patients shall be authorised to use blue light under the rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The list of vehicles, relating to emergancy duty, fire brigade, patrolling car and law and order and ambulance used to carry patients, shall be provided by the concerned department to the Regional Transport Officer through the District Magistrate of the concerned district. The concerned Regional Transport Officer shall retain the Compiled list of such vehicles.

7. Under rule 119 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, no motor vehicle shall be fitted with multi toned horn producing succession of different notes or with any other device, producing unduly harsh, shril, loud of alarming sound, but this restriction shall not be applicable to the vehicles, used as ambulance, for fire fighting, salavage purpose, or vehicles used by police officers or officers of the Transport Department in the course of

discharging their emergency duties. The list of ambulance-van, fire fighting vehicle or vehicles used by police officers or officers of the Transport Department in the course of discharging their emergency duties, fitted with multi-toned horn, producing succession of different notes or with any other device producing unduly harsh, shrill, loud of alarming sound, shall be provided by the concerned department to the Regional Transport Officer through the District Magistrate of the concerned district and the Regional Transport Officer shall retain the compiled list of such vehicles.

8. According to the rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the use of such black shinning film in windscreen glass, in which visual transmission of light to the windscreen and rear window is less than 70 percent and in the side window is less than 50 percent, shall be prohibited.

9. The makers of signboard and name plate shall not make them unless they are authorised by the concerned officer. In case of its non complience, legal restrictions shall be imposed.

10. After obtaining the permission of the District Magistrate on the prescribed format, any trader may stock red/blue light or siron/hooter. Such articles shall be sold to such persons, who are authorised to use them under the Government Orders and in connection, the certificate of the concerned Regional Transport Officer shall be obtained. The Trade Certificate of the trader may be cancelled on its breach.

11. These orders shall be equally applicable to all types of private vehicles whether they are of any Government Officer or religious body or political party or organisation or local body or Panchayat or its authorities.

12. Any vehicles, which does not follow these orders, may be stopped and the name plate, light, words, sign, glass covered with black film and hooter shall be removed from it at the cost of the owner and the prosecution proceeding shall be instituted against him under section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988.

By Order,

UMAKANT PANWAR,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट / 837–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2008 ई0 (पौष 06, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 12, 2008

No. 232/UHC/XIV/33/Admin.A--Sri D.P. Gairola, District & Sessions Judge, Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 25.11.2008 to 04.12.2008.

December 12, 2008

No. 233/UHC/XIV/11/Admin.A--Sri R.P. Pandey, District & Sessions Judge, Almora, is hereby sanctioned medical leave for 42 days *w.e.f.* 13.10.2008 to 23.11.2008.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd./-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

December 17, 2008

No. 234/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government Notification No. 1549/XX(3)-55/CBI/2003, dated 10.12.2008, Sri Narendra Dutt, Addl. District & Sessions Judge/IV.F.T.C., Dehradun will also preside over the Court of Special Judge, Anti Corruption (C.B.I.), Uttarakhand U/S 3(1) and 4(2) of Prevention of Corruption Act, 1988, with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice

Sd./-

V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 18, 2008

No. 235/UHC/XIV/29/Admin.A--Sri Raj Krishna, District & Sessions Judge, Pauri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 14.11.2008 to 03.12.2008 with permission to prefix 12.11.2008 as local holiday and 13.11.2008 Guru Nanak's Birthday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd./-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/837–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।